



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012023-241933
CG-DL-E-13012023-241933

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22]
No. 22]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

संख्या 01/2023-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 22(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा भारत में आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देती है; अर्थात्:-

तालिका

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	30	कोविड 19 वैक्सीन

2. यह अधिसूचना 14 जनवरी, 2023 से लागू होगी और 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/66/2021-टीओ (टीआरयू-1) सीबीईसी]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2023

No. 01 /2023—Customs

G.S.R. 22(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) specified in column (2) of the said Table, when imported into India by Central Government or State Governments, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the said First Schedule, namely:-

TABLE

S.No.	Chapter, heading, sub-heading or tariff item	Description
(1)	(2)	(3)
1.	30	COVID-19 vaccine

2. This notification shall come into force on 14th January, 2023 and remain in force upto and inclusive of the 31st March, 2023.

[F. No. CBIC-190354/66/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

NITISH KARNATAK, Under Secy.